

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

ऑर्डर शीट

प्रकरण संख्या 462/17 अनवान ऑफिस ऑफ 22/06/2017 विनिर्देश एवं इन्फार्मेशन का 218

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25/06/25	<p>पत्रावली भेज दी। प्रकाशन अधिकृत उपस्थित है। अपीलदार आदेश का उल्लंघन किया गया जो कि 2017-20-एक के पत्र में जारी पट्टा विलेख सं. 5275 दिनांक 28.10.2014 आयुक्त (प.) जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के द्वारा किया गया है। उक्त पट्टा विलेख के विरुद्ध यह अपील आदेश 90-A 21.08-21.02.2017 अतिरिक्त के तहत भेज सी गई है।</p> <p>उक्त अपीलदार आदेश एवं आदेश 90 A 21.08-21.02.2017 अतिरिक्त का उल्लंघन किया गया।</p> <p>उल्लेखित पट्टा विलेख के विरुद्ध आदेश 90 A (9) के तहत अपील के जरिये सुनौती की गई है। आदेश 90 A के तहत खातेदार द्वारा खातेदारी भूमि का शर्णा/परिवहन करते हुए कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करते वाकत अथवा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध ही आदेश 90 A (9) RLR के तहत सुनवाई क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त को प्राप्त है। उक्त पट्टा विलेख के विरुद्ध सुनवाई क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त को नहीं है। इसी में उक्त अपील अथवा अथवा पर प्रस्तुत करने हेतु अपीलदार को लॉटर्ड नहीं है। पत्रावली नम्बर 2017-20-एक है। L/C का रिकॉर्ड लॉटर्ड प्रामाणिक संभागीय आयुक्त</p>	

